83

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/2134 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—06—2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 476/अपील/2016—17.

.....

1—देवेन्द्र तनय रामप्रसाद साकिन देवरा गढ़ा
तहसील जवा जिला रीवा म0 प्र0
2—सुभाष चंद, सनत कुमार, उमाशंकर,
पुत्रगण रामप्रसाद
3—विमला पत्नी राम प्रसाद
4—गायत्री देवी एवं ऊषा देवी पुत्रियां रामप्रसाद
निवासीगण ग्राम केवरागाड़ा 137 तहसील जवा
जिला रीवा म0प्र0 ———आवेदकगण

विरूद्ध

1—केशव प्रसाद पुत्र रामकृष्ण साकिन देवरा
तहसील जवा जिला रीवा म0 प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 एन0 मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 08/03/2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—06—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सरांश इस प्रकार हे कि अनावेदक ने तहसीलदार जवा को म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम गाढ़ा 137 की आराजी नंबर 98 एवं 102 में स्वयं के हिस्से के बटवारे की मांग की, जिस पर तहसीलदार जवा ने प्रकरण कमांक 68/अ–27/2015–16 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 30.7.16 पारित करके पक्षकों के बीच भूमि का बटवारा कर दिया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.7.16 के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी त्यौथर के समक्ष दिनांक 7.10.16 को अवधि विधान की धारा–5 के साथ अपील प्रस्तुत की अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 4/अ–27/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 7.12.16 से अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त कर दी। इससे दुखित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 476/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.6.17 से अपील अस्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर के आदेश को यथावत् रखा गया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि ग्रामवासी द्वारा बताया गया है कि तहसील न्यायालय में बटवारा हो गया है तब इसकी जानकारी आवेदकगण को हुई। आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के यहां से नकल प्राप्त कर अपील अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर के न्यायालय में की। आवेदकगण पढ़े लिखे हैं लेकिन सहमति में हस्ताक्षर बने हैं लेकिन उनके द्वारा पुल्ली में हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अंत में आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30.6.17 विधि विरूद्व होने से निरस्त कर आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि नायब तहसीलदार जवा सर्किल अतरैला के यहां अपने हिस्सा 1/2 के बंटवारा बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया था न्यायालय द्वारा आवेदक व उसके साथ अन्य सहखतेदार को सूचना दी

गई। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी को मौके के मुताविक पुल्ली व नक्शा का प्रस्ताव बनाने हेतु आदेश जारी किया। पटवारी हल्का मौके पर जाकर पुल्ली बनाई व मुताविक कब्जा नक्शा तर्मीम का प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारों के हस्ताक्षर व अन्य संभ्रांत व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा कर नायब तहसीलदार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अनावेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा मुताविक सहमति व पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार बंटवारा नामांतरण प्रमाणित कर आवेदक को स्टाम्प शुल्क यानी बंटवारा शुल्क हेतु आदेश दिया। आवेदकगण एवं अनावेदक द्वारा शुल्क जमा किया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी लेख किया है कि आवेदकगण कुद समय तक पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहे कुछ दुर्भावना से वह म्याद समाप्त होने के बाद अनुविभागीय अधिकरी के यहां अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन अस्वीकार किया गया। द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के यहां प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया और अपील अस्वीकार की गई। यहां बिलंब क्षमा बावत आवेदन किया जिसमें क्षमा के कोई प्राकृतिक व नैतिक नियम संभव नहीं हैं अपील निरस्त की गई है। बिलंब क्षमा का प्रावधान म्याद अधिनियम की धारा–5 में उपबंधित हैं जहां न्याय का हित हो वहां के लिये धारा–5 वर्जित है। अहित व अन्याय के लिये धारा–5 का सृजन नहीं किया गया है । अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित होने से स्थिर रखने का अनुरोध किया है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने म्याद अधिनियम के आवेदन का निराकरण करते हुये लेख किया कि आवेदक देवेन्द्र ने लगभग ढाई माह बाद बिलंब से अपील पेश की गई हैं आवेदक ने विलंब का जो कारण बताया गया हे वह समाधान कारक नहीं हैं आवेदक का कहना है कि पारित आदेश की जानकारी दिनांक 30.9.16 को गांव वालों से हुई थी, इसलिये 1.10.16 को तहसील में नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया थां दिनांक 6.10.16 को नकल प्राप्त होने पर

दिनांक 7.10.16 को अपील प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत हैं नियमों का उल्लंघन किया गया है। फर्जी तरीके से चोरी छिपे आदेश पारित किया गया है। अनावेदक का कहना है कि आवेदक द्वारा सहमति का उपस्थित होकर तहसील न्यायालय में जबाव प्रस्तुत किया गया है। पटवारी द्वारा पुल्ली तैयार की गई है उस पर सभी कागजातों पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में सहमति का जबाव प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को शुरू से ही प्रकरण की जानकारी थी। अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर के न्यायालय में ढाई माह विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है। अपील विलंब से प्रस्तुत करने का जो कारण आवेदक द्वारा बताया गया है वह समाधानकारक नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर द्वारा धारा–5 के आवेदन पर अपील खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी सहमत होते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया है । **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत एम0 पी0 वीकली नोट 2012 पार्ट–3 पुष्पा बाई विरूद्व संतोष कुमार में 10 वर्ष 8 माह 26 दिन इसी प्रकार एम0 पी0 वीकली नोट 2012 पार्ट–1 शार्ट नोट 55, 317 दिन इसी प्रकार एम0 पी0 वीकली नोट 2010 पार्ट–2, 108 म0 प्र0 शासन विरूद्व के0 एल0 आसरे में 1648 दिन की देरी को अपील में धारा–5 म्याद अधिनियम में यदि समुचित स्पष्ट व प्र्याप्त कारण देरी के संबंध में नहीं बताये गये हैं तो ऐसे आवेदन को क्षमा किये जाने योग्य नहीं माना गया तथा म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है।**

6–उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 476/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर